न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/41/2023	2023/287	20.03.2023	30.04.2024

1. छीतरमल पुत्र श्री भगवान सहाय जाति ब्राह्मण।
2. देवी सहाय पुत्र श्री भगवान सहाय जाति ब्राह्मण।
3. कैलाश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम मडावरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज0)।

—अपीलाण्टान

बनाम

1. कजोड़मल पुत्र कन्हैयालाल जाति धोबी — मृतक।
   1/1 दीपक पुत्र कजोडमल।
   1/2 संजय पुत्र कजोडमल।
   1/3 सोनू पुत्र कजोडमल।
   1/4 लाली पुत्री कजोडमल।
2. हीरालाल पुत्र छीतरमल जाति धोबी — मृतक।
   2/1 कला बेवा हीरालाल।
   2/2 फूलचन्द पुत्र हीरालाल।
   2/3 मोहनलाल पुत्र हीरालाल।
   2/4 ग्यारसी पुत्र हीरालाल।
   2/5 जगदीश पुत्र हीरालाल।
   2/6 भगवान पुत्र हीरालाल।
   2/7 सुशीला पुत्री हीरालाल।
   2/8 माया पुत्री हीरालाल।
3. सुखराम पुत्र छीतरमल जाति धोबी।
   3/1 अंगूरी बेवा सुखलाल।
   3/2 अशोक पुत्र सुखलाल।
   3/3 विजय कुमार पुत्र सुखलाल।
   3/4 अजय कुमार पुत्र सुखलाल।
   3/5 काके पुत्र सुखलाल।
4. शान्तीदेवी पुत्री छीतरमल।
5. लिछमा देवी पुत्री छीतरमल जातियान धोबी निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज0)।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

—रेस्पोडेन्टान

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.2022 तहसीलदार राजगढ़ प्रकरण संख्या 01/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः–

01.श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलाण्टान

02.श्री टेक चन्द सैनी — रेस्पोडेन्टान

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 21.12.2022 प्रकरण संख्या 01/2015 वाके ग्राम मडावरी तहसील राजगढ़ अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी से व्यथित होकर पेश की है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि कजोडमल पुत्र कन्हैयालाल, हीरालाल पुत्र छीतरमल, सुखराम पूत्र छीतरमल, शान्ति देवी पुत्री छीतरमल, लिछमा देवी पुत्री छीतरमल, जातियान धोबी, निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ अलवर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 380/505 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम मण्डावरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 में स्थित है, जिस पर अपीलाण्टान द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है जो कब्जा अपीलाण्टान से रेस्पोडेण्टान का दिलाया जावे। आवेदन पत्र की सुनवाई के दौरान कजोडमल, हीरालाल व सुखराम का देहान्त हो गया जिसके वारीसान रेस्पोडेण्टान हैं। अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र को पंजीकृत किया जाकर अपीलाण्टान को अतिक्रमी मानते हुए रेस्पोडेण्टान को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावे जो आदेश विधिविरुद्ध व बेजा रूप से पारित किया गया है। इसलिए अपीलाण्टान की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2022 का है जिस आदेश की जानकारी अपीलाण्टान को पूर्व में नहीं हो पाई, क्योंकि अपीलाण्टान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया था तथा उक्त आदेश एकपक्षीय होने के कारण जानकारी नहीं हो सकी। पटवारी हलका की रिपोर्ट 16.03.2022 को यह सूचित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है जो आदेश के तहत रेस्पोडेण्टान को आराजी का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में है। इस आदेश की जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में जांच की जाने पर प्रथम आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। आराजी खसरा नंबर 389, 380, 380/505 वाके ग्राम मण्डावरी रेस्पोडेण्टान की गैर खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी का कोई रकबा 19 बिस्वा यानी 24 ऐयर बनता है, जिस पर रेस्पोडेण्टान काबिज हैं। हाल बन्दोबस्त संवत 2046 में में बन्दोबस्त के कर्मचारियों की गलती के कारण अपीलाण्ट की आराजी खसरा नंबर 381 की पश्चिमी डोल व रेस्पोडेण्टान की पूर्वी डोल जो सीधी दर्शित होती है, को गलत दिखाया गया है। इस कम में अपीलाण्ट के द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षार्थ कानूनी कार्यवाही की हुई है जो न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां लंबित है जो नक्शा दुरूस्ती से संबंधित है। आराजी खसरा नंबर 380/505 का नक्शा हाल जो गलत बना है, में अपीलाण्टान की आराजी से लगती प्रदर्शित की गयी है। इसी कारण रेस्पोडेण्टान ने अपीलाण्टान को अतिक्रमी बताया है। जबकि मौके पर आराजी ख0नं0 380/505 पर कोई अतिक्रमण अपीलाण्टान ने नहीं किया है। मौके के खिलाफ हाल बन्दोबस्त द्वारा तीन नंबर कायत किये हुए हैं जिसके कारण ही यह गलती हुई है, जबकि आज भी अपीलाण्टान की मौके पर कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी 370, 380, 380/505 जिसका कुल रकबा 0.24 है0 है जिस पर रेस्पोडेण्टान काबिज है। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.12.2022 की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी जिसकी जानकारी अपीलाण्टान को विलम्ब से हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया है। जो देरी अपील पेश करने में हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है। नेकनियती व परिस्थितियों पर आधारित होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। इसलिए देरी की अवधि नेकनियती व जानकारी के अभाव में हुई है जो माफ की जाकर अपील अन्दर अवधि पेश है। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थन पत्र अलग से पेश किया गया है। अपीलाण्टान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नंबर 273 रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम मण्डावरी तह0 राजगढ़ में स्थित है जिसके हाल खसरा नं0 381 रकवा 0.30 है0 है जो मिन अपीलाण्टान के कब्जे काश्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर मिन अपीलाण्टान का बुजुर्गान के समय से पूर्व की भांति कब्जा चला आ रहा है और अपीलाण्टान कानूनी रूप से काबिज चले आ रहे हैं और इस आराजी से लगती हुई आराजी रेस्पोडेण्टान जो जाति से धोबी हैं, की आराजी है। इस तथ्य पर गौर किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है। इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्टान पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ का आदेश दिनांक 21.12.2022 निरस्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील रैस्पोडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई है कि रैस्पोडेन्टान कजोडमल पुत्र कन्हैयालाल धोबी, शान्ति देवी पुत्री छीतरमल, लिछमा देवी पुत्री छीतरमल निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ अलवर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हाल खसरा न0 380/505 रकबा 0.09 है0 ग्राम मडावरी तहसील राजगढ जिला अलवर में है उक्त आराजी प्रार्थीगण को कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक आराजी है। न्यायालय श्रीमान ने धारा 183 बी के तथ्यों के संबंध में पटवारी हल्का मालाखेडा से जांच रिपोर्ट मंगवायी इस पर दिनांक 31.12.2015 को रिपोर्ट दी कि अपीलान्ट छीतरमल ने खसरा न0 380/505 पर कब्जा किया हुआ है जमाबन्दी ग्राम मडावरी के खाता संख्या 83 के अनुसार कजोड पुत्र कन्हैयालाल रैस्पोडेन्ट का 1/2, लिछमा पुत्री छीतर 1/4, शान्ति पुत्री छीतर 1/24 हि0, सुखराम पुत्र छीतर 5/24 हि0, हीरा पुत्र छीतर का 5/24 हि0 खातेदार नाम दर्ज है। अपीलान्ट आराजी खसरा न0 380/505 वाके ग्राम मडावरी तहसील राजगढ पर अतिक्रमी है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील होना जो अपीलान्टान ने बताया है वह यह नंबर की नहीं है वह खसरा न0 381 की है। दिनांक 31.12.2015 की मौका सूची रिपोर्ट खसरा न0 380/505 रकबा 0.09 व खसरा न0 381 में लिख हुआ है रिपोर्ट दी है। दिनांक 25.07.2023 की मौका रिपोर्ट खसरा न0 380/505 व खसरा न0 381 के बीच कोई डोल नही है। दिनांक 27.10.2022 रिपोर्ट पटवारी खसरा न0 380/505 पर अपीलान्ट छीतरमल पुत्र भगवान सहाय द्वारा काश्त की जा रही है। दिनांक 18.09.2023 को पूर्व पटवारी रिपोर्ट में खसरा न0 380/505 रकबा 0.09 ऐयर छीतरमल, कैलाश, देवीसहाय पुत्रान भगवान सहाय ब्राह्मण ने अपने खातेदारी आराजी खसरा न0 381 में शामिल करके जोत लगा रखी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र दफा 05

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह तर्क दिया गया कि संवत 2046 में कर्मचारियों की गलती के कारण अपीलान्ट की आराजी नं0 381 की पश्चिमी डोल व रेस्पोडेन्ट की पूर्वी डोल जो सीधी दर्शित होती है को गलत दिखाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं जो न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां लम्बित है जो नक्शा दुरूस्ती से संबंधित है। अपीलान्ट का आराजी नं0 380/505 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में अपनी लिखित बहस में यह अवगत कराया है कि पटवार हल्का मालाखेडा द्वारा दिनांक 31.12.2015 को रिपोर्ट दी है कि मौके पर खसरा नं0 380/505 रकबा 0.09 है0 पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर रखा है। यह भी अवगत कराया है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील खसरा नं0 380/505 की न होकर खसरा नं0 381 की है। अर्थात् 183 बी के प्रकरण में अंकित भूमि से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन प्रकरण का कोई संबंध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। आराजी नं0 380/505 रकबा 0.09 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम मण्डावरी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कजोड पुत्र कन्हैया लाल 1/2 हि0, हीरा, सुखलाल पुत्रान छीतरमल 5/12 हि0, शान्ति, लिछमा पुत्रिया छीतरमल 1/12 हि0 जाति धोबी सा0 सकट के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मौका रिपोर्ट का मिलान करने पर यह पाया गया है कि उक्त आराजी नं0 पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट का यह तर्क कि प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन है। रिकॉर्ड का मिलान किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन प्रकरण आराजी नं0 381 से संबंधित है। रेस्पोडेन्ट जमाबंदी में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। इससे अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत दर्ज होकर एवं प्रभावित समस्त व्यक्तियों को निर्णय से पूर्व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा निर्णय कानून की मंशा के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर विस्तृत रूप एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)